न्यायालयः– कमलेश मीणा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी, जिला बालाघाट, म0प्र0

Case no.	CRR/25/2026
Filing No.	CRR/1077/2026
Filing Date	09/06/2026
CNR No.	MP5006-001523-2026

पार्थ ट्रेडर्स,
द्वारा प्रो0पा0 घनवीर पारखी आयु 61 वर्ष वल्द मोतीलाल पारखी
निवासी वार्ड नं0 3 पिण्डकापार थाना देवलापार
तहसील रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र

..................आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना तिरोडी जिला बालाघाट म0प्र0

................अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता

न्यायालय– सुश्री शबाना खान जी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटंगी, जिला बालाघाट द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन एम0जे0सी0 क0 79 / 2026 पार्थ ट्रेडर्स विरूद्ध थाना तिरोड़ी में पारित आदेश दिनांक 23.05.2026 से उद्भूत आपराधिक पुनरीक्षण।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा– अधिवक्ता श्री सलीम बेग जी।
प्रत्यर्थी द्वारा – श्री संतोष लिल्हारे, अति0लोक अभियोजक।

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 07.07.2026 को पारित)

1. यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय– सुश्री शबाना खान जी,

(कमलेश मीणा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कटंगी, जिला बालाघाट द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन एम0जे0सी0 क0 79/2026 पार्थ ट्रेडर्स विरूद्ध थाना तिरोड़ी में पारित आदेश दिनांक 23.05.2026 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 438 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में सुविधा की दृष्टि से आगे विचारण न्यायालय के मूल प्रकरण अनुसार पुनरीक्षणकर्ता को आवेदक व गैर–पुनरीक्षणकर्ता को अनावेदक के नाम से संबोधित किया है।

3. आवेदक की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 भा0ना0सु0सं0 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक पार्थ ट्रेडर्स वार्ड नं0 3 पिंडकापार पो0 करवाही, थाना देवलापार, तह0 रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र का मालिक है। आवेदक के द्वारा कब्जे मालकी व स्वामित्व का टाटा मोटर्स कंपनी का टिप्पर वाहन क0 एम0एच0–40–डी0सी0–1827 जिसका चेचिस नं0 एम0ए0टी0–569059–एस0 ए0जे0–14481 इंजन नंबर 52–एच0–95530235 को अपराध कमांक 120/2026 में जप्त कर अपनी अभिरक्षा में रखा गया है। आवेदक के द्वारा उक्त वाहन कयशुदा वाहन है उक्त वाहन की प्रतिदिन व्यवसायिक कार्यों में आवश्यकता पड़ती है तथा वह आवेदक की आजीविका का साधन है। उक्त वाहन को अधिक समय तक थाने में बाहर खड़े रखने से उसमें तकनीकी खराबी आ सकती है। आवेदक/सुपुर्ददार अपने उक्त वाहन को मान्नीय न्यायालय के आदेशानुसार अपने स्वयं के सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना चहता है तथा सुपुर्दनामे पर प्राप्त करने के पश्चात् उक्त वाहन को बिकी, रहन, गिरवी नहीं रखेगा। आंवेदक उक्त वाहन मय दस्तावेजों को अपने स्वयं के सुपुर्दनामे पर प्राप्त करना

(अमरीश ओझा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

चाहता है। ऐसी स्थिति में आवेदक/सुपुर्ददार को उसके कब्जे व आधिपत्य के वाहन को स्वयं के सुपुर्दनामे पर प्रदाय किए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने उक्त वाहन को स्वयं के सुपुर्दनामे पर प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था उक्त आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2026 को निरस्त कर दिया है उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है।

4. पुनरीक्षणकर्ता ने पुनरीक्षणाधीन आदेश को आक्षेपित करते हुए, यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विचारण न्यायालय के द्वारा यह मानकर कि थाना तिरोड़ी के प्रतिवेदन के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टिप्पर कं0 एम0एच0–40–डी0सी0–1827 को राजसात करने हेतु पत्र जिला दण्डाधिकारी बालाघाट को भेजा गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना था कि एक आपराधिक प्रकरण थाने के द्वारा पंजीबद्ध कर म0प्र0गौण खनिज अधिनियम के अंतर्गत कोई वाहन जप्त होता है तो उक्त वाहन के किसी भी प्रकार के व्ययन की अधिकारिता केवल उक्त न्यायालय को ही है तथा वाहन को समानांतर स्थित में राजसात नहीं किया जा सकता। केस डायरी में यह उल्लेख कर देने से कि वाहन को राजसात कर देने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया हे तथा आपराधिक प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का व्ययन केवल समक्ष न्यायालय के द्वारा ही किया जा सकता है तथा अभी प्रकरण केवल प्रारंभिक अवस्था में है तथा गुणदोषों के आधार पर ही निराकरण हो सकता है तथा प्रकरण में निराकरण में समय लगने की संभावना है तथा वाहन खुली अवस्था में रखने से मूल्यवान हानि होने की संभावना है। अतः विचारण

(कमलेश मीणा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम0एच0—40—डी0सी0—1827 को आवेदक को प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आक्षेपित आदेश विधिसम्मत बताते हुए उसका समर्थन करते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

6. विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

"क्या आक्षेपित आदेश अशुद्ध, अनौचित्यपूर्ण अथवा अवैधानिक है ?"

निष्कर्ष के आधार

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 11.05.2026 को थाना तिरोड़ी के सहायक उपनिरीक्षक उमेश दियेवार को रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की बावनथड़ी नदी से डंफर क्र0 एम0एच0—40—डी0सी0—1827 में रेत लोड हो रही है और नागपुर की ओर निकलने वाला है जिसे पावर हाउस चौक महकेपार से सुकली मेन रोड ग्राम महकेपार में घेराबंदी कर पकड़ा जिसमें रेत भरी हुई थी तथा ड्राइवर ने अपना नाम अंकुश बताया तथा परिवहन के वैद्य दस्तावेज नहीं होने पर चालक का कृत्य धारा 303 (2), 317 (5) बी0एन0एस0 2023, धारा 53 (1) म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996, धारा 4/21 खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत होने से उक्त डंफर मय रेत के जप्त किया गया व थाना तिरोडी के अपराध क्र0 120/26 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

8. केस डायरी से यह दर्शित है कि अभियुक्त अंकुश से उक्त डंफर क्रमाक एम0एच0–40–डी0सी0–1827 जप्ती पत्र अनुसार जप्त होना दर्शित है तथा पार्थ ट्रेडर्स के स्वामी घनवीर से उक्त जप्त वाहन का रजिस्ट्रेशन, पर्मिट जप्त किया जाना दर्शित है। केस डायरी के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है जिसमें जप्त डंफर पार्थ ट्रेडर्स के नाम से पंजीकृत होना दर्शित है तथा परमिट की छायाप्रति से दर्शित है कि जप्त डंफर का परमिट दिनांक 28.10.2025 से 27.10.2030 तक वैद्य होना दर्शित है तथा टैक्स इनवाईस में भी जप्त वाहन पार्थ ट्रेडर्स के नाम पर है तथा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पार्थ ट्रेडर्स इंटरप्राइजेस का प्रोपराईटर घनवीर मोतीलाल पाखी होना उल्लेखित है तथा ज़प्त वाहन दिनांक 12.02.2026 से 11.02.2027 तक बीमित होना भी दर्शित है। इस प्रकार जप्त वाहन पार्थ ट्रेडर्स के स्वामित्व का होकर आवेदक घनवीर पाखी पार्थ ट्रेडर्स का प्रोपराईटर होकर वाहन अंतरिम अभिरक्षा में प्राप्त करने हेतु सक्षम व्यक्ति होना दर्शित है।

9. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि जप्त वाहन को राजसात किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा कलेक्टर बालाघाट को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा कलेक्टर कार्यालय में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण में थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा कलेक्टर को दिनांक 11.05.2026 को जप्त रेत व डंफर राजसात हेतु पत्र प्रेषित किया जाना संलग्न पत्र से दर्शित है तथा पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा भी दिनांक 11.05.2026 को कलेक्टर बालाघाट को जप्त डंफर व रेत को राजसात किए जाने का पत्र लिखा जाना दर्शित है किंतु कलेक्टर द्वारा उक्त पत्र प्राप्ति के पश्चात् राजसात की कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो और उसकी सूचना संबंधित न्यायालय को दी हो, ऐसा कोई पत्र

(कमलेश मीणा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

केस डायरी के साथ संलग्न नहीं है तब मात्र राजसात हेतु पत्र लिखने के आधार पर जप्त वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिए जाने से इंकार करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

10. एम0सी0आर0सी0 54542/19 विनित सिंह बघेल विरूद्ध म0प्र0 राज्य, निर्णय दिनांक 04 सितंबर 2020 में म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 की धारा 53 (1), (3) (5) खान अधिनियम 1957 की धारा 4/21 में जप्त वाहन को मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शर्तें अधिरोपित करते हुए अंतरिम सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश दिया गया है। आवेदक द्वारा सी0आर0एल0आर0सी0 क्र0 328/20 वैरावमूर्ति बनाम राज्य प्रतिनिधि द्वारा निर्णय दिनांक 12.05.2020 प्रस्तुत किया जिसमें भा0दं0स0 की धारा 379 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत जप्त वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में जप्त वाहन को आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

11. जप्त डंफर को चौकी महकेपार में खुली अवस्था में रखा गया है तथा वाहन को खुली अवस्था में रखे जाने पर उक्त वाहन में यांत्रिकी खराबी आने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है और खुली अवस्था में वाहन रखा रहने की स्थिति में वाहन का मूल्यहास होना स्वभाविक है। **सुंदर भाई अंबालाल देसाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजराज ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 638** में प्रतिपादित विधि के आलोक में जप्तशुदा वाहन आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस संबंध में एम0सी0आर0सी0 क्र0 17321/18 राजेश द्विवेदी बनाम म0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2018 अवलोकनीय है जिसमें भी अवैध रेत परिवहन से

(... मीणा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

संबंधित वाहन को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता जप्तशुदा स्वामी होकर अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु सक्षम व्यक्ति है। प्रकरण में अनुसंधान अपूर्ण है और विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 503 बी0एन0एस0एस0 आवेदन पत्र निरस्त किए जाने में विधि एवं तथ्य की भूल की जाना दर्शित होता है जिसमें न्याय के उद्देश्य के प्रतिपूर्ति हेतु हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है।

13. अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25.03.2026 अपास्त कर पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित शर्तों के अधीन **<u>स्वीकार</u>** की जाती है कि–

i. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक घनवीर पारखी पिता मोतीलाल पारखी विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी संतुष्टि अनुसार 1,00,000/– (एक लाख रूपये) की सक्षम जमानत एवं 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये) की राशि का अंतरिम सुपुर्दगीनामा एवं मूल दस्तावेज एवं आवेदक घनवीर पार्थ ट्रेडर्स का प्रोपराईटर/अधिकृत व्यक्ति होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जप्तशुदा वाहन आवेदक को अंतरिम सुपुर्दगी पर सौंप दिया जावे।

ii. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक जप्तशुदा वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करने उपरांत उसका हस्तांतरण या अन्य प्रकार से व्ययन नहीं करेगा और ना ही वाहन के रंग रूप आदि में परिवर्तन करेगा।

iii. पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक भविष्य में अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त वाहन का

(कमलेश मीणा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

उपयोग किसी भी अवैध गतिविधि के लिए नहीं करेगा।

iv. पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर स्वयं के व्यय पर उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

v. पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक यदि जप्तवाहन के संबंध में सम्पहरणकर्ता अधिकारी द्वारा सम्पहरण की कार्यवाही में उक्त वाहन आहूत किया जाने का आदेश दिया जाता है तब स्वयं के व्यय पर सम्पहरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

14. आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब भेजा जावे।

15. प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

स्थान— वारासिवनी, जिला बालाघाट, म0प्र0
दिनांक— 07.07.2026

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

कमलेश मीणा 07/07/26
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
वारसिवनी, जिला बालाघाट, म0प्र0

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सत्यमेव जयते
बारासिवनी